न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2023/90

1. अमर सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
2. दिलीप सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
3. बने सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
4. कैलाश सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
5. समुन्द्र सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
6. गोविन्द कंवर पत्नी हरनाथ सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम फतेहपुरा खुर्द तहसील पावटा जिला जयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत ग्राम फतेहपुरा खुर्द पंचायत समिति पावटा जिला जयपुर जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी।

–रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.01.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर प्रकरण संख्या 5/2022 उनवानी तहसीलदार पावटा बनाम अमरसिंह व अन्य।

उपस्थित–

1. श्री मनोज कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. श्री राजराम चौधरी रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–23.09.2025

संभागीय आयुक्त
जयपुर

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला जयपुर राजस्थान के निर्णय दिनांक 23.01.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम फतेहपुरा खुर्द तहसील पावटा जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 892 रकबा 0.62 है0 में से 0.0275, 895/0.19 है0 में से 0.0180 है0, 897 रकबा 0.90 है0 में से 0.0400 है0 भूमि के संबंध में तहसीलदार पावटा द्वारा राजस्व रिकार्ड में किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव भिजवाने जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 23.01.2023 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 23.01.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स अमर सिंह वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी पावटा दिनांक 23.01.2023 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम फतेहपुरा खुर्द तहसील पावटा जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 892/0.62, 895/0.19, 897/0.90 के अपीलांट्स काबिज रिकार्डेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये एवं कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नं. 892 रकबा 0.62 है0 में से 0.0275 है0 के रास्ते के आदेश से अपीलांट की भूमि दो त्रिभुजाकार भागों में बंट जावेगी। अपीलार्थीगण की उक्त आराजीयात् से लगती हुई अन्य काश्तकारों की कृषि भूमि स्थित है तथा उक्त अपीलार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि व अन्य काश्तकारों की लगती हुई कृषि भूमि में से आज दिनांक तक किसी भी तरह का कोई आम रास्ता या सडक नहीं है। आमजन के आवागमन हेतु अपीलार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता ना तो राजस्व रिकार्ड में व ना ही मौके पर अवस्थित है। उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली ने अपीलान्ट्स खातेदारान् को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तहसीलदार, कोटपूतली द्वारा तैयार की गई एक पक्षीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 के आधार पर अपीलान्ट्स् की खातेदारी में से नया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं। प्रकरण में अपीलान्ट्स् एवं अन्य खातेदारों को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही विधिक प्रक्रिया का कोई पालन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 तथा भू–राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार को बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं जिसमें सभी सह खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने के पश्चात् ही रास्ता दर्ज करने का प्रावधान है। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है एवं मौका रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला जयपुर दिनांक 23.01.2023 निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार पावटा जिला जयपुर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू एवं स्थाई प्रकृति का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक

20.12.2022 के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंषा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर द्वारा ग्राम फतेहपुरा तहसील पावटा में स्थित खसरा नंबर 892 रकबा 0.62 है0 में से 0.0275, 895/0.19 है0 में से 0.0180 है0, 897 रकबा 0.90 है0 में से 0.0400 है0 भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 23.01.2023 को दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलार्थीगण को सुनवाई, साक्ष्य एवं दस्तावेजात् इत्यादि प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। विधिनुसार रिकार्डेड खातेदारों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से उसकी खातेदारी की आराजी में से रास्ता कायम करना नैसर्गिक न्याय सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण उचित एवं विधिसम्मत् नहीं है। खसरा नं. 892 में रास्ते के आदेश से अपीलांट की भूमि त्रिभुजाकार बंट जाना प्रतीत होता है। अपीलार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से रास्ते के संबंध में किसी प्रकार का कोई सहमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा का अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.01.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करें।

(पूनम) आयुक्त
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर